न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—रूकमणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—55/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा—जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष भनोत।

——प्रार्थी

बनाम

1. मै. महावीर सीमेंट स्टोर जरिये प्रो. राघव त्रिखा
पता—1. दुकान नं. 238/1, जनरल मार्केट हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान—335513।
पता—2. पुराना वार्ड नं. 04, नया वार्ड नं. 19, बैंक कॉलोनी कोठी एरिया हनुमानगढ़ राजस्थान—335513।

——ऋणी

2. श्री राघव त्रिखा
पता—1. दुकान नं. 238/1, जनरल मार्केट हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान—335513।
पता—2. पुराना वार्ड नं. 04, नया वार्ड नं. 19, बैंक कॉलोनी कोठी एरिया हनुमानगढ़ राजस्थान—335513।

——गारन्टर/प्रतिभू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश दिनांक:—02.08.2023

प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की ओर श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक जिसका प्रधान कार्यालय—आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड़, वडोदरा, गुजरात—390007 एवं शाखा कार्यालय आईसीआईसीआई बैंक लिमि. तृतीय तल रानीसागर कॉम्पलेक्स, जलजोग सर्किल जोधपुर राजस्थान में स्थित है। श्री आशीष भनोत उक्त बैंक के प्राधिकृत अधिकारी है एवं प्रार्थी बैंक की ओर से साक्ष्य देने, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है और साथ ही इन्हे प्रार्थी बैंक के हक मे प्रार्थना—पत्र से संबधित समस्त कार्यवाही करने हेतु सरफेसी एक्ट, 2002 के प्रावधानो के अनुसार अधिकृत किया गया है।

अप्रार्थीगण ऋणी को प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक दिनांक 17.12.2014 को ऋण अनुबन्ध निष्पादित कर ऋण अनुबंध संख्या 670905600700 में ऋण राशि 20,00,000 रूपये (बीस लाख रूपये) का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी ने उक्त ऋण मय ब्याज पुनर्भुगतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 04, नया वार्ड नं. 19, बैंक कॉलोनी कोठी एरिया हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल (15x35) 58.33 वर्गगज

Web Copy Not Official

है जो श्री राघव त्रिखा पुत्र स्व. स्वदेश त्रिखा के नाम से है, को आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पास बंधक किया।

अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक के उक्त वर्णित ऋण अनुबंध खातें में स्वीकृत एवं वितरित ऋण का प्रतिसंदाय नहीं करने और प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 04.07.2022 को अप्रार्थीगण के ऋण खाते को आपलन आस्ति(एन. पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाता संख्या 670905600700 में कुल बकाया देय ऋण राशि 20,75,370/– रूपये दिनांक 16.11.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का प्रतिसंदाय हेतु अप्रार्थीगण दायितवाधीन है।

प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.11.2022 को मांग सूचना प्रेषित करने के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित बकाया देय ऋण राशि का कोई प्रतिसंदाय प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक को नहीं किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति पुराना वार्ड नं. 04, नया वार्ड नं. 19, बैंक कॉलोनी कोठी एरिया हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल (15x35) 58.33 वर्गगज है जो श्री राघव त्रिखा पुत्र स्व. स्वदेश त्रिखा के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़